



हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व  
अहकाम जो इस  
हुकम की तालीम  
में जारी हुए

बाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर  
स्वीकार किया जाकर डिडी किया जाता है।  
विस्तृत निष्पत्ति मेरे द्वारा सुनने से  
निष्पत्ति जाकर शामिल पत्रावली किया  
गया। पत्रावली केवल सुनार सेक्टर सम्बन्ध  
के अन्तर्गत तथा बाद तकनीक दायित्व सम्बन्ध  
है। निष्पत्ति प्रथम स्थापना में सुनाया गया।  
/s/

डिकी मुकदमा इब्तदाई  
(ओ. 20 रूल 6-7 जास्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फारस्ट ट्रेक) मुकाम खण्डेला  
इजलास श्री रणजीत सिंह आर.ए.एस.  
1. रामगोपाल दत्तक पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)

- (वादी)

बनाम

1. जिला कलक्टर, राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर सीकर।
2. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार खण्डेला।

- (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत ईस्तकारर हक, स्थाई निषेधाज्ञा

मु. नं. 69 सन् 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री रणजीत सिंह आर.ए.एस. ब हाजिरी श्री धर्मेन्द्र योगी एड. मिनजानिब मुदई रुबरु भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि तन ग्राम गोविन्दपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.) अवस्थित ख. नं. 975/1143 व 976/1144 रकबा 0.32 है. कि किस्म गै. मु. रास्ता से दुरुस्त की जाकर उक्त ख. नं. का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निज ..... मुबालिग ..... बाबत .....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ..... फीसदी महन्ताना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 11 सन् 2019 को जारी की गयी।



15/11/19 दस्तखत  
सहायक कलक्टर  
अहदा

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		